

वर्ष 2010-11 का बजट

एपीडिओ

2-10-11

(1)

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ ।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
बहराइच, मऊ, लखनऊ, कुशीनगर, हरदोई, इटावा, सुल्तानपुर, बदायूं, फर्रुखाबाद,
जौनपुर, कांशीरामनगर, गाजियाबाद, उन्नाव, गाजीपुर, बरेली, फिरोजाबाद एवं
बलरामपुर।

पत्रांक-जी0ओ0-42/सम्प्रेक्षा/2010-11

लखनऊ:: दिनांक::17 फरवरी, 2011

विषय-वित्तीय वर्ष 2010-11 में अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के अन्तर्गत स्वीकृत मात्राकृत धनराशि के आवंटन के संबंध में।

महोदय,

समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-692/26-ब0प्र0-2010-01बजट/2010, दिनांक 18 अगस्त, 2010 एवं शासनादेश संख्या-71/26-ब0प्र0-2011-06बजट/2010, दिनांक 02 फरवरी, 2011 द्वारा अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के अन्तर्गत क्रमशः अवमुक्त रू0 250.00 करोड़ एवं रू0 100.00 करोड़ में से दैवीय आपदा आदि हेतु आरक्षित रू0 35,00,00,000 (रू0 पैंतीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 34,56,35,000 (रूपये चौतीस करोड़ छप्पन लाख पैंतीस हजार मात्र) में से शासनादेश संख्या-138-38-4-11-01(बजट)/10 दिनांक 15 फरवरी 2011 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा रू0 15,89,40,000 (रू0 पन्द्रह करोड़ नवासी लाख चालीस हजार मात्र) उक्त शासनादेश में उल्लिखित जनपदों द्वारा व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

शासन द्वारा दी गयी स्वीकृति के क्रम में उक्त रू0 15,89,40,000 (रू0 पन्द्रह करोड़ नवासी लाख चालीस हजार मात्र) संलग्नक के कालम-3 के अनुसार आवंटित की जाती है।


आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय में निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- 1- आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय उक्त सन्दर्भित शासनादेशों में दिये गये शर्तों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत किया जाएगा।
- 2- आवंटित की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा।


3- धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। आहरण के एक सप्ताह के अन्दर आहरित धनराशि का बाउचर संख्या व दिनांक इस कार्यालय के सम्प्रेक्षा अनुभाग को सूचित किया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो इसे नियमानुसार समर्पित किया जायेगा।

इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखा शीर्षक-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-06-आवास योजना-27-सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय नियंत्रण रजिस्टर आयोजनागत के पृष्ठ-180 पर कर ली गयी है।


(संजीव कुमार)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उ०प्र०।
२

- पत्रांक-जी०ओ०-42/सम्प्रेक्षा/2010-11 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम/द्वितीय), उ०प्र० इलाहाबाद।
 - 2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम/द्वितीय), उ०प्र० इलाहाबाद।
 - 3- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ, उ०प्र० शासन।
 - 4- सचिव, ग्राम्य विकास, उ०प्र० शासन।
 - 5- सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी।
 - 6- सम्बन्धित जनपदों के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ०प्र०।
 - 7- नियोजन अनुभाग-2/3, उ०प्र० शासन।
 - 8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ०प्र० शासन।
 - 9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
 - 10- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/4, उ०प्र० शासन।



(मिहेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास, उ०प्र०।
२

(3)

Annexure Of Letter No. G.O.42/Sampreksha/MAY/2010-11 Dated
15-2-2011

Release of funds under Mahamaya Awas Yojana (Natural calamities)


SL	DISTRICT	Amount being released (Lakh Rs.)	Progressive Total
1	2	3	4
1	MEERUT	0.00	4.09
2	GHAZIABAD	0.45	37.20
3	BULANDSHAHAR	0.00	161.83
4	G.B. NAGAR*	0.00	37.35
5	BAGPAT	0.00	4.31
6	SAHARANPUR	0.00	283.94
7	MUZAFARNAGAR	0.00	96.95
8	MORADABAD	0.00	227.70
9	BIJNOR	0.00	190.45
10	RAMPUR	0.00	98.19
11	J.B.F. NAGAR	0.00	28.20
12	BAREILLY	49.50	305.69
13	BADAUN	31.50	414.23
14	SHAHJAHANPUR	0.00	1043.94
15	PILIBHIT	0.00	294.11
16	AGRA	0.00	83.88
17	MAINPURI*	0.00	155.70
18	MATHURA	0.00	164.75
19	FIROZABAD	3.60	147.77
20	ALIGARH	0.00	134.57
21	ETAH	0.00	76.56
22	KANSHIRAM NAGAR	1.35	51.75
23	HATHRAS	0.00	61.88
24	JHANSI	0.00	322.60
25	JALAUN	0.00	150.82
26	LALITPUR	0.00	328.32
27	BANDA	0.00	352.80
28	HAMIRPUR	0.00	164.90
29	MAHOBA	0.00	157.03
30	CHITRAKUT	0.00	395.24
31	ALLAHABAD	0.00	641.31
32	FATEHPUR	0.00	971.10
33	PRATAPGARH	0.00	643.68
34	KAUSHAMBHI	0.00	358.33
35	KANPUR NAGAR	0.00	170.27
36	KANPUR DEHAT	0.00	504.28
37	ETAWAH	6.75	186.44
38	FARRUKHABAD	71.55	232.34
39	KANNAUJ	0.00	275.29
40	ORRAIYA	0.00	112.07
41	VARANASI	0.00	219.76
42	GHAZIPUR	36.90	439.56
43	JAUNPUR	41.85	1025.13
44	CHANDAULI	0.00	1379.25



4

SL	DISTRICT	Amount being released (Lakh Rs.)	Progressive Total
1	2	3	4
45	MIRZAPUR	0.00	400.20
46	SONBHADRA	0.00	3771.45
47	S. R. NAGAR	0.00	301.50
48	LUCKNOW	0.90	961.20
49	SITAPUR	0.00	1629.03
50	UNNAO	210.60	851.83
51	HARDOI	158.85	1216.73
52	KHERI	0.00	1548.79
53	RAE BARELI	0.00	496.13
54	GORAKHPUR	0.00	333.68
55	DEORIA	0.00	102.87
56	KUSHINAGAR	147.15	311.71
57	MAHRAJGANJ	0.00	476.61
58	BASTI	0.00	265.65
59	SIDHARTHANAGAR	0.00	340.43
60	S.K.NAGAR	0.00	231.58
61	AZAMGARH	0.00	1018.35
62	MAU	91.80	464.09
63	BALLIA	0.00	1027.55
64	FAIZABAD	0.00	285.48
65	BARABANKI	0.00	1056.90
66	SULTANPUR	36.00	839.87
67	Chatrapati Shauji MaharaJ	0.00	238.79
68	AMBEDKARNAGAR	0.00	282.70
69	GONDA	0.00	496.95
70	BAHRAICH	675.90	688.50
71	BALRAMPUR	24.75	98.37
72	SHRAWASTI	0.00	260.55
	STATE TOTAL	1589.40	33133.05

(Rs. Fifteen Crore Eight Nine Lakh Fourthy Thousand Only)


M.K. Agnihotri
Additional Commissioner (Accounts)
Rural Development

(5)

डी.एन. 42/2011/2011

77/2/2011

संख्या-138/38-4-11-01(बजट)/10

प्रेषक,

प्रज्ञान राम मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग- 4

लखनऊ:दिनांक- 15 फरवरी, 2011

विषय- वित्तीय वर्ष-2010-11 में अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के अन्तर्गत स्वीकृत मात्राकृत धनराशि के व्यय/उपयोग करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-692/26-ब0प्र0-2010-01(बजट)/2010, दिनांक-18 अगस्त, 2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2010-11 के लिए अनुदान संख्या-83 में बजट प्राविधानित धनराशि रू0-250.00 करोड़ एवं प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से शासनादेश संख्या-71/26-ब0प0-2011-06(बजट)/2010, दिनांक- 02 फरवरी, 2011 द्वारा रू0-100.00 करोड़ के धनराशि की दी गई वित्तीय स्वीकृति अर्थात् रू0-350.00 करोड़ की धनराशि में से आवंटित 10 प्रतिशत मात्राकृत धनराशि रू0-35.00 करोड़ में से अवशेष धनराशि रू0-3456.35 लाख में से बाढ़ से प्रभावित 3532 आवास विहीन परिवारों के लिए महामाया आवास हेतु नीचे दिये गये प्रारूप में उल्लिखित जनपदों के सम्मुख अंकित धनराशि कुल रू0-1589.40/- (रूपये पन्द्रह करोड़ नवासी लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्रमांक	जनपद का नाम	आवास बिहीन परिवारों की संख्या	अपेक्षित धनराशि (लाख रूपये में)
1-	बहराइच	1502	675.90 ✓
2-	मऊ	204	91.80 ✓
3-	लखनऊ	02	0.90 ✓
4-	कुशीनगर	327	147.15 ✓
5-	हरदोई	353	158.85 ✓
6-	इटावा	15	6.75 ✓
7-	सुल्तानपुर	80	36.00 ✓
8-	बदायूँ	70	31.50 ✓
9-	फर्रुखाबाद	159	71.55 ✓
10-	जौनपुर	93	41.85 ✓

6

11-	काशीराम नगर	03	1.35 ✓
12-	गाजियाबाद	01	0.45 /
13-	उन्नाव	468	210.60 ✓
14-	गाजीपुर	30+52=82	36.90 ✓
15-	बरेली	110	49.50 ✓
16-	फिरोजाबाद	08	3.60 ✓
17-	बलरामपुर	50	24.75 ✓

योग-

3532

रु०-1589.40

1- उक्त स्वीकृति शासनादेश संख्या- 692/26- ब0प्र0- 2010-01 (बजट)/2010, दिनांक-18 अगस्त, 2010 में दिये गये शर्तों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत ही व्यय की जायेगी तथा उक्त शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेगी।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि बहराइच/ मऊ/ लखनऊ/ कुशीनगर/ हरदोई/ इटावा/ सुल्तानपुर/ बदायूँ/ फर्रुखाबाद/ जौनपुर/ काशीराम नगर/ गाजियाबाद/ उन्नाव/ गाजीपुर/ बरेली/ फिरोजाबाद/ बलरामपुर के आवास बिहीन परिवारों के लिए महामाया आवास पर ही व्यय किया जायेगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा। यदि अवशेष धनराशि बचती है तो उसे नियमानुसार समर्पित किया जायेगा।

भवदीय,

(प्रज्ञान राम मिश्र)
विशेष सचिव

संख्या-138(1)/38-4-11, तददिनांक-

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 3- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ, उ० प्र० शासन।
- 4- संबंधित जनपद के जिलाधिकारी।
- 5- अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उ० प्र०, लखनऊ।
- 6- संबंधित जनपद के कोषाधिकारी।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-3/रा०यो०आयोग-2।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव।